(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–126–दो/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–10–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–411/ अपील/97–98

.....

महेन्द्र सिंह तनय साधुलाल सिंह
निवासी–ग्राम बन्ना जवाहर तहसील हनुमना
जिला–रीवा (म0प्र0)

------आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती शैलसिंह पत्नी सुरेन्द्रसिंह
निवासी–ग्राम बन्ना जवाहर तहसील हनुमना
जिला–रीवा(म0प्र0)

-----अनावेदिका

.....

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एस0 सेंगर, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5-3-2018 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–10–2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम हनुमना स्थित भूमि खसरा नं0 193/1 रकबा 0.25 एकड़ एवं ग्राम बन्ना जवाहर सिंह खसरा क्र0 72 रकबा 8.35 एकड़ एवं खसरा क्रमांक 375 रकबा 1.32 एकड़ का नामांतरण वसीयत के आधार पर अनावेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 109–110 के तहत आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार हनुमना के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 27.07.94 को अनावेदिका के पक्ष में वसीयत के आधार नामांतरण का आदेश पारित किया गया। इस नामांतरण आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी हनुमना के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने यह मानते हुये कि हितबद्ध पक्षकारों को सुने बिना तहसीलदार ने आदेश पारित किया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 15.07.98 से तहसीलदार के नामांतरण आदेश को निरस्त किया तथा अपील स्वीकार की । इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 411/अपील/97–98 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 18.10.2005 से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.98 में आंशिक संशोधन करते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया तथा प्रकरण को तहसीलदार की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वसीयत की विधिवत विवेचना कर गुणदोष पर उभयपक्ष को सुनकर आदेश पारित करें। इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदिका ने वसीयत के आधार पर संहिता की धारा 109–110 के तहत आवेदन पत्र तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार द्वारा विचार किये बिना ही नामांतरण आदेश पारित किया । प्रकरण में संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के

भूमिस्वामी रैमुनिया बेवा हीरामणि, महीम्न प्रसाद तनय रामपियारे है। तहसील न्यायालय को आदेश पारित करने के पूर्व भूमि से संबंधित भूमिस्वामी को सम्मन जारी किया जाना चाहिये था। इसके अतिरिक्त भूमिस्वामी होने के नाते इन्हें पक्षकार बनाया जाना चाहिये था, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा ऐसी कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गई । इस तरह तहसील न्यायालय द्वारा की कई कार्यवाही संदेहात्मक प्रतीत होती है। इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने प्रश्नाधीन आदेश पारित करते हुये 15.07.98 से तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.94 को निरस्त किया है और अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रश्नाधीन आदेश में आंशिक संशोधित करते हुये दिनांक 18.10.05 को प्रत्यावर्तन आदेश पारित कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वसीयत की विधिवत विवेचना करते गुये गुणदोषों के आधार पर उभयपक्ष को सुनने के पश्चात आदेश पारित करें।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 18–10–2005 न्यायासंगत होने से यथावत रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,